

न्यायालय—साजिद मोहम्मद द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 चंदेरी,
जिला अशोकनगर(म0प्र0)

व्यवहारवाद कमांक—32ए/2016
संस्थित दिनांक— 03.11.2015
Filling num- 235103002432015

1. श्रीमती गीताबाई पत्नी राजाराम जाति नायक बंजारा आयु 38 साल पेशा खेती निवासी ग्राम देशाईखेडा टांडा चक तहसील पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0

.....बादिया

बनाम

1. नत्थू खां पुत्र शौकत खां जाति नट मुसलमान आयु 58 साल
2. गिन्दा खां पुत्र शौकत खां जाति नट मुसलमान आयु 53 साल
3. रशूल खां पुत्र नत्थू खां जाति नट मुसलमान आयु 37 साल
4. सलमान पुत्र नत्थू खां जाति नट मुसलमान आयु 32 साल
निवासीगण:- ग्राम खिरिया सेहराई तहसील पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0
5. कप्तान पुत्र सूटउ जाति आदिवासी आयु 42 साल
निवासी ग्राम मेहदपुर
6. परताप पुत्र देशराज जाति आदिवासी आयु 35 साल
निवासी मेहदपुर तहसील पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0

.....प्रतिवादीगण

7. म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर म0प्र0

..... फार्मल प्रतिवादी

-----:: / / निर्णय / / ::-----

{आज दिनांक:- 27.03.2017 को घोषित किया गया}

01— यह दावा वादी की ओर से ग्राम मेहदपुर तहसील पिपरई जिला

अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्र० 25/1/14 रकवा 2.000 है० भूमि (जिसे आगामी पदों में सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा) पर स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, रिक्त आधिपत्य प्राप्ति एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम मेहदपुर तहसील पिपरई जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्र० 25/1/14 रकवा 2.000 है० भूमि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर विवादग्रस्त भूमि है। उक्त भूमि वादी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2012 एवं 20.11.2012 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा विक्रय पत्र के आधार पर वादी का राजस्व रिकार्ड में नामांतरण भी हो गया है। वादग्रस्त भूमि का वादपत्र के साथ अक्श नक्शा संलग्न किया गया है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है जिसमें वादग्रस्त भूमि को लाल स्याही से अ, ब, स, द अक्षरों से दर्शाया गया है।

03— वादी द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि का सीमांकन प्रकरण क्रमांक 25अ12/14-15 दिनांक 20.06.2015 को कराया गया। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण क्र० 1 लगायत 6 का कोई संबंध नहीं है और न कभी रहा है। प्रतिवादीगण वादी से रंजिश रखते हैं और वादग्रस्त भूमि हड़पने के प्रयास में रहते हैं तथा सीमांकन के वाद दिनांक 27.06.2015 को प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 ने वादग्रस्त भूमि में लगे चीरे पटाकर जबरन शक्ति एवं ताकत के बल पर कब्जा कर लिया। वादी ने प्रतिवादीगण को रोकने का प्रयास किया परन्तु वे नहीं माने और अभी भी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 कब्जा बनाये हुए हैं एवं वादी के स्वत्व को नकार रहे हैं। वादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पिपरई में की थी इसके बाद एसपी अशोकनगर तथा तहसीलदार पिपरई को आवेदन दिया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

04— प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैधानिक कब्जा करने से वादी को खर्च काटकर लगभग 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष का नुकसान हो रहा है। वाद कारण दिनांक 27.06.2015 को प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 द्वारा जबरन शक्ति एवं ताकत के बल पर जान से मारने का भय दिखाकर एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने से एवं वादी के स्वत्वों को नकारने से एवं अवैधानिक आधिपत्य अभी भी बनाये होने से उक्त दिनांक से बाद कारण लगातार जारी है। वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम मेहदपुर तहसील पिपरई जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्र० 25/1/14 रकवा 2.000 है०

भूमि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की है पर स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, रिक्त आधिपत्य प्राप्ति एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

05— प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 की ओर से जबाब दावे में व्यक्त किया कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 25/1/14 रकबा 2.000 है० भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय करना बताया है तथा वादी ने वादपत्र के साथ जो नक्शा अक्श पेश किया है वह गलत पेश किया है। उक्त अक्श नक्शे में विवादग्रस्त भूमि को अ, ब, स, द भाग में सड़क से लगकर दर्शाया गया है जबकि वादी की ओर से न्यायालय में जो विक्रय पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है उसमें चतुरसीमाओं का कोई उल्लेख नहीं है एवं वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों विक्रय पत्रों में ग्राम मेहदपुर में स्थित विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 25/1/14 को सड़क व ग्राम से 1 किलोमीटर की दूरी पर होने का स्पष्ट उल्लेख है। वादी ने उक्त भूमि को जबरन विवादग्रस्त बताया है।

06— वादी द्वारा प्रतिवादीगण के कब्जे की भूमि में गलत बटा अंकित कराकर सीमांकन कराया है तथा उक्त सीमांकन रिपोर्ट पंचनामा एवं रसीद आदि में न तो वाद संलग्न, अक्श नक्शे अनुसार चतुरसीमा का उल्लेख है और न ही राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने उनकी रिपोर्ट में चतुरसीमाओं का कोई उल्लेख किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी-अपनी भूमियों पर काबिज है और वादी का प्रतिवादीगण के कब्जे की भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही वादी के पूर्व विक्रेता का प्रतिवादीगण की कब्जे की भूमि पर कब्जा रहा है। वादी द्वारा चोरी छुपे प्रतिवादीगण की कब्जे की भूमि में गलत बटा अंकित करा लिये है तथा वादी का प्रतिवादीगण की कब्जे की भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है तो उक्त भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

07— वाद कारण दिनांक 27.06.2015 को या कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी अपनी-अपनी भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादी क्र० 1 नत्थू ने वादी के विरुद्ध न्यायालय में एक दावा पेश किया है जिससे असंतोष होकर वादी ने प्रतिवादीगण पर मिथ्या आरोप लगाकर एवं कोई वाद कारण उत्पन्न न होते हुए भी मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने के आशय से असत्य आधारों पर दावा पेश किया है जो निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

08— प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 7 म.प्र.शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है तथा शासन के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही है। प्रतिवादी क्र. 8

को समंस की तामीली के उपरांत अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

09— उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :—

1.	क्या ग्राम मेहदपुर तहसील पिपरई में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 25/1/14 रकबा 2.000 हेक्टेयर वादी के स्वत्व की है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 6 द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 6 से प्राप्त करने की अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या वादी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
5.	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित
6.	सहायता एवं व्यय	पैरा 20 के अनुसार निरस्त

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

वाद प्रश्न क्र० 1:—

10— वादप्रश्न क्र० 1 को साबित करने का भार वादी मे निहित है। वादी गीताबाई वा०सा०1 ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में बताया कि ग्राम मेहदपुर तहसील पिपरई में स्थित भूमि सर्वे क्र० 25/1/14 रकबा 10 बीघा भूमि उसके द्वारा रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी गई थी और रजिस्ट्री के आधार पर राजस्व कागजातों में उसका विधिवत नामांतरण भी हो गया है। प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 की ओर से उनके

अभिवचनो में व्यक्त किया है कि ग्राम मेहदपुर में स्थित वादी के नाम की भूमि से प्रतिवादीगण को कोई मतलब नहीं है।

11— वादी द्वारा उसके पक्ष समर्थन में असल विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2012 प्र.पी.2 एवं विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2012 प्र.पी. 3, सीमांकन प्रतिवेदन प्र.पी.4, पंचनामा प्र.पी.5, रसीद प्र.पी. 6, प्रस्तुत किया है। वादी का यह अभिवचन है कि वादग्रस्त सर्वे क० भूमि सर्वे क० 25/1/14 रकबा 10 बीघा उसके स्वामित्व की है जिसके संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र प्र.पी. 2 व 3 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि सर्वे क० 25/1/14 रकबा 2.000 है० में से 1.059 है० भूमि प्र.पी.2 एवं भूमि सर्वे क० 25/1/14 रकबा 2.000 है में से 0.941 है० भूमि प्र.पी.3, मूल विक्रय पत्रों के अनुसार वादी द्वारा विक्रेता मनोहर प्रसाद पुत्र ग्याप्रसाद निवासी गरेठी द्वारा क्रमशः दिनांक 20.11.12 एवं 25.06.2012 को क्रय करना दर्शित है।

12— प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने लिखित वहस में यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि वादी गीताबाई ने जिस भूमि को मनोहर प्रसाद से क्रय किया है वह पट्टे की भूमि है और पट्टे की भूमि कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी के अनुज्ञा के बिना अंतरण नहीं किया जा सकता। वादी की ओर से प्रकरण के अंतिम तर्क की स्टेज पर विवादग्रस्त भूमि से संबंधित खसरे प्रस्तुत किये गये हैं। यद्यपि उक्त दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित नहीं किये हैं किन्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 77 के अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियां लोक दस्तावेज की श्रेणी में आती हैं और ऐसे दस्तावेजों की अन्तर वस्तु सबुत में पेश की जा सकती हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन करने से विवादग्रस्त भूमि सर्वे क० 25/1/14 रकबा 2.000 है० भूमि मनोहर प्रसाद पुत्र ग्याप्रसाद के नाम शासकीय पट्टाधारी के रूप में अंकित है अर्थात् वादी गीताबाई ने असल विक्रय पत्र प्र.पी. 2 एवं 3 के अनुसार जिस भूमि को क्रय करना व्यक्त किया है वह शासकीय पट्टे की भूमि होना दर्शित है। इस प्रकार स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत खसरो की प्रमाणित प्रतिलिपियों से यह स्पष्ट है कि वादी गीताबाई द्वारा जिस भूमि को क्रय करना व्यक्त किया है वास्तव में वह शासकीय पट्टे की भूमि होना प्रथम दृष्टया दर्शित है जिसे विक्रेता मनोहर प्रसाद को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में वादी को विवादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम मेहदपुर का भूमि स्वामी घोषित नहीं किया जा सकता। अतः वाद प्रश्न 1 का निराकरण प्रमाणित नहीं के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क० 2, 3, 4:—

13— वाद प्रश्न क्र० 2, 3, 4 एक दुसरे से संबंधित होने व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है। वाद प्रश्न क्र० 2, 3, 4 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी गीताबाई द्वारा उसके अभिवचनो में यह व्यक्त किया है कि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 द्वारा उसके स्वामित्व की वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लिया है। वादी गीताबाई के अनुसार उसने विवादग्रस्त भूमि का दिनांक 20.06.2015 को पटवारी एवं गिरदावर द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराया था तथा सीमांकन के बाद दिनांक 27.06.2015 को प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 द्वारा वादग्रस्त भूमि के चारे उखाड़कर शक्ति एवं ताकत के बल पर कब्जा कर लिया और अभी भी कब्जा बनाये हुए है, जिसके संबंध में वादी द्वारा पुलिस थाना पिपरई, कलेक्टर अशोकनगर को दिये गये आवेदन की कार्बन प्रति प्र.पी. 7, पुलिस अधीक्षक को दिये गये आवेदन की प्रति प्र.पी. 8 एवं आवेदन प्र.पी. 9 प्रस्तुत किया है, जबकि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 की ओर से उनके अभिवचनो में व्यक्त किया कि उनके द्वारा वादी गीताबाई की किसी भी भूमि पर कोई भी कब्जा नहीं किया है। गीताबाई के नाम जो भूमि है उसपर गीताबाई काबिज है और प्रतिवादीगण का सर्वे नम्बर 25/1/4ख रकवा 1.000 है० है जिसपर प्रतिवादीगण काबिज है।

14— वादी गीताबाई की ओर से प्रस्तुत दावे के पैरा 3 में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 द्वारा दिनांक 27.06.15 को जबरन ताकत के बल पर सीमांकन दिनांक 20.06.15 के पश्चात कब्जा कर लिया अर्थात् सीमांकन के लगभग 7 दिन पश्चात ही विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किये जाने की बात लेख की है, जबकि वादी गीताबाई के प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में इस बात को स्वीकार किया है कि जब नप्ती कराई थी तब प्रतिवादीगण उसकी भूमि पर कब्जा किये थे। इस प्रकार वादी गीता स्वयं एक तरफ अपने दावे में एवं उसके मुख्य परीक्षण में सीमांकन के 7 दिन पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करने की बात बताती है वही प्रतिपरीक्षण में उसके विपरीत कथन करती है कि जब सीमांकन हुआ था तब प्रतिवादीगण उसकी भूमि पर कब्जा किये थे।

15— वादी का मुख्य अभिवचन यह है कि वादी वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे अनुसार काबिज थी, जिसपर से प्रतिवादीगण द्वारा उसे बेदखल कर दिया है। जबकि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 की ओर से उनके अभिवचन में व्यक्त किया कि विवादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम महेदपुर सर्वे क्र० 25/1/14 रकवा 2.00 है० वाद पत्र के साथ संलग्न अवश नक्शे में अ, ब, स, द भाग में सडक से लगकर दर्शाया है, जबकि वादी

की ओर से प्रस्तुत मूल विक्रय पत्र प्र.पी. 2 एवं 3 का अवलोकन करने से विवादग्रस्त भूमि सडक व ग्राम से 1 किलोमीटर की दूरी पर होने का उल्लेख है। स्वयं वादी गीता ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में व्यक्त किया कि जिस दिन उसने मौके पर 5 बीघा जमीन खरीदी थी उस दिन मौके पर सडक बनी थी और जमीन रोड के पास है। इसके पश्चात आगे साक्षी गीताबाई ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसने जो 5 बीघा जमीन खरीदी थी वह सडक से लगी हुई नहीं थी। उक्त जमीन सडक से थोड़ी दूर थी तथा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया कि उसकी जमीन सडक से एक किलोमीटर दूर ही होगी तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में इस बात को भी स्वीकार किया कि मनोहर से सडक से 1 किलोमीटर की दूरी पर भूमि खरीदना तय हुआ था।

16— इस प्रकार स्वयं वादी गीता के कथनो से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा जिस भूमि को क्रय किया गया था वह सडक से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी तथा वादी की ओर से ऐसी भी कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित हो कि वादी द्वारा विवादग्रस्त भूमि क्रय किये जाने के पश्चात उसके द्वारा क्रय की गई उक्त भूमि से लगकर कोई सडक निकली हो तथा वादी की ओर से प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट पंचनामा एवं रसीद में भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि विवादग्रस्त भूमि सडक से लगकर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी की ओर से नक्शा अक्स पेश किया गया है तथा वादी द्वारा जिस भूमि को विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया है उक्त विक्रय पत्र के अनुसार एवं नक्शे अक्स अनुसार भूमि भिन्न स्थानों पर होना दर्शित है

17— वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी फूलसिंह व0सा02 द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में इस बात को स्वीकार किया कि जिस दिन नप्ती हुई थी उस दिन प्रताप और नत्थू कब्जा किये हुए थे और भगवान सिंह व0सा03 द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में नप्ती के समय वादी गीताबाई व उसके पति राजेन्द्र का कब्जा होना देखा जाना व्यक्त किया। वादी की ओर से प्रस्तुत पटवारी जितेन्द्र जादौन व0सा04 ने व्यक्त किया कि उसने तथा आर.आई साहब ने जब विवादग्रस्त भूमि का सीमांकन किया था तब सीमांकन के समय नत्थू खान का कब्जा निकला था। परन्तु सीमांकन रिपोर्ट का अवलोकन करने से इस बारे में कही कोई उल्लेख नहीं है कि सीमांकन के समय विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा निकला हो बल्कि सीमांकन रिपोर्ट का अवलोकन करने से उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वादी गीताबाई को विवादग्रस्त भूमि पंचान एवं आवेदिका के समक्ष मुस्तकिल मुकामो से नापकर मौके का सीमांकन किया गया और सीमांकन में चतुरसीमाए बनाई गई।

18— वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादी वादपत्र के साथ संलग्न अक्श नक्शे अनुसार भूमि पर काबिज थी यह प्रमाणित नहीं होता है क्योंकि वादी गीताबाई द्वारा जिस विक्रय पत्र के माध्यम से विवादग्रस्त भूमि क्रय किया जाना व्यक्त करती है वह भूमि ग्राम एवं सडक से 1 किलोमीटर दूर होने का स्पष्ट उल्लेख विक्रय पत्र में है तथा वादी द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि क्रय किये जाने के पश्चात उक्त भूमि के पास से सडक निकली हो ऐसा कोई अभिवचन या मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है तब यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के स्वामित्व की विवादग्रस्त भूमि वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा अक्स अनुसार पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जहां कि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा किया जाना प्रमाणित नहीं है वहां प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य है वादी प्राप्त करने की भी हकदार नहीं है और न ही वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने की हकदार है। अतः वाद प्रश्न क्र० 2, 3 व 4 का निराकरण प्रमाणित नहीं के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र० 5:—

19— प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावे में यह अभिवचन किया गया है कि वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया गया है। परन्तु इस संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादी द्वारा वर्तमान वाद में मूल्यता: स्वत्व घोषणा, रिक्त आधिपत्य प्राप्त किये एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वाद का मूल्यांकन लगान के 20 गुने के आधार पर 2000/— रुपये कामय किया जाकर स्वतत्त्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एकत्र न्यायालय शुल्क 600/— किया गया है। न्यायालय शुल्क के प्रयोजन से आधापत्य प्राप्ति हेतु वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन धारा 7(V) न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार किया जाना आवश्यक है तथा क्षेत्राधिकार के प्रयोजन से धारा 3 वादमूल्यांकन अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमानुसार भी वादी द्वारा भू राजस्व के 20 गुना मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा मूलता: उक्तानुसार मूल्यांकन कर न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। अतः यह प्रमाण पाया जाता है कि वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है।

वादप्रश्न क्र० 6:— **सहायता एवं व्यय**

20— उपरोक्तानुसार किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विश्लेषण के उपरान्त अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादी यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि वादी विवादग्रस्त भूमि की स्वामी है। यह प्रमाणित करने में भी असफल रही है कि प्रतिवादी क० 1 लगायत 6 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वादी यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि वादी विवादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी क० 1 लगायत 6 से रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने की हकदार है तथा यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार है। फलतः वादी का वाद निरस्त कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है।

1. वाद निरस्त किया जाता है।

21— वादी स्वयं का एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगी।

22— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियम 523 म०प्र० सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञा पत्र बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०